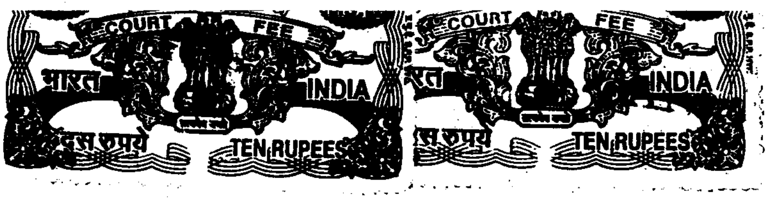

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

R 1056-PBR-17

प्रकरण क्रमांक /2016-17 निगरानी

डॉ. रवीन्द्र दिसावाल पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्द नारायण जी दीसावाल, उम्र 68 वर्ष, धंधा चिकित्सक एवं कृषि, निवासी-65, वल्लभ भाई पटेल मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) कृषक ग्राम कोलुखेड़ी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.)

------निगरानीकर्ता

विरूद्ध

साबिर पिता इब्राहिम, जाति छीपा मुसलमान, उम्र 72 वर्ष, धंधा पेंशनर, निवासी-ग्राम कोलुखेड़ी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.)

------प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-70/2014-15 में पारित आदेश तारीखी 28/01/2017 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी का स्मरण-लेख सादर प्रस्तुत हैं :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1056–पीबीआर/17 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात् किये जाने संबंधी आदेश पारित करते हुये प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्ट्या कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	